

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

विविध वाद संख्या-56/2024-25

रमेश करमाली

—बनाम्—

हरिलाल महतो एवं अन्य

—::आदेश::—

10.06.2025

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक रमेश करमाली, पिता स्व० मंगर करमाली, ग्राम जगेश्वर, पंचायत कुन्दा, थाना जगेश्वर, जिला बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि उनके जमीन को हरिलाल महतो, पिता— स्व० अघनु महतो, भास्कर महतो, पिता— हरिलाल महतो, देवकी महतो, पिता— स्व० बबुली महतो, ग्राम— जगेश्वर, पंचायत— कुन्दा, थाना— जगेश्वर, जिला— बोकारो द्वारा उनके जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है और उस पर जोत—कोड़ कर रहे हैं। रोकने पर मार पीट तथा गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिया जाता है। भूमि की विवरणी मौजा जगेश्वर के खाता सं०— 21, प्लॉट सं०— 1017, रकवा— 33 डी० है। जिसकी चौहद्दी उ०— टाँड़ वीपती महतो, द०— टाँड़ छतरू महतो, पू०— टाँड़ दयाल महतो, प०— टाँड़ चहता महतो है। उक्त भूमि उनके पूर्वज दुखन करमाली के नाम से खतियान में दर्ज है। वे जाति के आदिवासी हैं और उनके जमीन की खरीद—बिक्री नहीं की जा सकती है। अतः उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन पर हो रहे विवाद को निपटारा एवं अपने भूमि को वापस करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में विपक्षी हरिलाल महतो, भास्कर महतो एवं देवकी महतो को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। फलस्वरूप उनके द्वारा उपस्थिति दर्ज करते कहा गया कि मौजा जगेश्वर के खाता सं०— 21, प्लॉट सं०— 1017, रकवा— 33 डी० भूमि केवाला सं०— 18587 के माध्यम से क्रय किया गया है। उनके द्वारा केवाला की प्रति समर्पित किया गया है, जिसमें कमर जाति अंकित है जो पिछड़ी वर्ग के श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि उनके



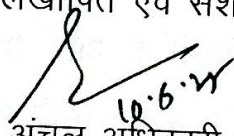
दखल-कब्जे में है। अन्त उनके द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज करने एवं वाद की कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

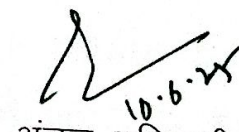
दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य राजस्व कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि मौजा जगेसर के खाता सं०- 21, प्लॉट सं०- 1017, रकबा- 33 डी० भूमि, मूल खतियान में आदिवासी खाते की है। आवेदक जाति के करमाली है, जो अनुसूचित जन जाति के श्रेणी में आते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी दाखिल किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह मामला भू-वापसी का है। जिसके लिए अधोहस्ताक्षरी का न्यायालय, सक्षम न्यायालय नहीं है। ऐसी स्थिति में इस वाद में कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। आवेदक चाहें तो अपने हक एवं अधिकार के लिए इस मामले को लेकर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


10.6.25
अंचल अधिकारी
गोमिया।


10.6.25
अंचल अधिकारी
गोमिया।

स्थान:- गोमिया।

दिनांक:- 10.06.2025